SAARTHI · सारथी

करियर मार्गदर्शन पोर्टल · Career Guidance Portal

"सही मार्गदर्शन, उज्ज्वल भविष्य।"

करियर शीट · CAREER SHEET

Protection Officer (Rajasthan)

संरक्षण अधिकारी वह अधिकारी है जिसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। जब कोई महिला घरेलू हिंसा की शिकायत लेकर आती है, तो उसका घरेलू घटना प्रतिवेदन तैयार करना, उसे न्यायालय तक...

इस करियर की पूरी जानकारी — स्कैन करें

वेतन, परीक्षा, कॉलेज, प्रवेश के रास्ते और आगे के कदम — सब पोर्टल पर।

career.gsssjethantri.in/#/career/raj-protection-officer

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेठन्तरी

Govt. Sr. Sec. School, Jethantri · ब्लॉक समदड़ी · बालोतरा (Block Samdari · Balotra)

www.gsssjethantri.in · career.gsssjethantri.in

सुशील कुमार शर्मा
प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. जेठन्तरी · मास्टर ट्रेनर
Principal, GSSS Jethantri · Master Trainer

श्री चेनाराम चौधरी
प्रधानाचार्य, डाइट बाड़मेर
Principal, DIET Barmer

श्रीमती संघमित्रा
वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट बाड़मेर (सहयोग)
Sr. Lecturer, DIET Barmer (Support)

भरत चौधरी
अभिकल्पना व विकास · व्याख्याता (इतिहास)
Designed & developed · Lecturer (History)

विशेष धन्यवाद · SPECIAL THANKS

सुरेन्द्र सिंह राठौड़
व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. कानाना

सुरेश कुमार सैन
व्याख्याता (भूगोल) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा

वनिता कुमारी
व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा

कमलेश चौधरी
व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) · रा.उ.मा.वि. टापरा

करियर मार्गदर्शन कार्यशाला, डाइट बाड़मेर (14–17 जुलाई 2026) में विकसित व लोकार्पित
Developed & unveiled at the Career Guidance Workshop, DIET Barmer (14–17 July 2026)

यह एक स्वतंत्र परियोजना है, जो सरकार की आधिकारिक करियर-मार्गदर्शन सामग्री पर आधारित है। · An independent project based on the Government's official career-guidance content.

1 यह करियर क्या है

संरक्षण अधिकारी वह अधिकारी है जिसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। जब कोई महिला घरेलू हिंसा की शिकायत लेकर आती है, तो उसका घरेलू घटना प्रतिवेदन तैयार करना, उसे न्यायालय तक पहुँचाना, पीड़िता को उसके अधिकारों एवं उपलब्ध सेवाओं की जानकारी देना, आश्रय गृह एवं चिकित्सा सुविधा तक पहुँच सुनिश्चित करना, तथा न्यायालय के संरक्षण आदेशों का पालन कराने में सहायता करना — यह सब इसी पद का काम है। यह उन थोड़े सरकारी पदों में है जो सीधे किसी क़ानून की माँग पर बने हैं, और इसीलिए इसकी योग्यता भी उसी के अनुरूप है: नियम केवल दो डिग्री स्वीकार करता है — विधि स्नातक (एल.एल.बी.) अथवा समाज कार्य में स्नातकोत्तर (एम.एस.डब्ल्यू.)। यह पद उसी बिंदु पर खड़ा है जहाँ क़ानून और समाज कार्य मिलते हैं, और दोनों में से कोई एक पृष्ठभूमि इसके लिए पर्याप्त मानी गई है।

2 एक नज़र में

न्यूनतम योग्यता	विधि स्नातक (एल.एल.बी.) अथवा समाज कार्य में स्नातकोत्तर (एम.एस.डब्ल्यू.), किसी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से (सेवा नियम 2017, अनुसूची-II)
भर्ती संस्था	राजस्थान लोक सेवा आयोग (आर.पी.एस.सी.), अजमेर — विभाग: महिला अधिकारिता
आयु-सीमा	18 से 40 वर्ष, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आने वाली 1 जनवरी को (सेवा नियम 2017, नियम 11) — आरक्षित वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु-सीमा में छूट मिलती है (विवरण नीचे)
आरंभिक वेतन	पे मैट्रिक्स स्तर सेवा नियमों में नहीं दिया — विज्ञप्ति देखें। परिवीक्षा अवधि में नियत मासिक पारिश्रमिक मिलता है
माँग	50% सीधी भर्ती, 50% पदोन्नति से — पदोन्नति पर्यवेक्षक (महिला अधिकारिता) के पद पर 7 वर्ष के अनुभव पर

3 क्या-क्या चाहिए

रुचियाँ

- महिला अधिकार एवं सामाजिक न्याय में रुचि
- क़ानून एवं समाज कार्य दोनों से जुड़ा काम

- संकट में पड़े लोगों के साथ सीधा संवाद

क्षमताएँ

- संवेदनशीलता के साथ तथ्य निकालने की क्षमता
- सटीक एवं क्रमबद्ध लेखन, क्योंकि प्रतिवेदन न्यायालय जाता है
- भावनात्मक रूप से कठिन स्थितियों में स्थिर रहना

ज़रूरी कौशल

- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 का व्यावहारिक ज्ञान
- परामर्श एवं संकट-हस्तक्षेप
- पुलिस, न्यायालय, सेवा प्रदाता एवं ज़िला प्रशासन से समन्वय
- घरेलू घटना प्रतिवेदन (डी.आई.आर.) तैयार करना एवं न्यायालय में प्रस्तुत करना
- आश्रय गृह, चिकित्सा एवं विधिक सहायता तक पहुँच जोड़ना
- सामुदायिक जागरूकता एवं महिला अधिकारिता की योजनाओं का क्रियान्वयन

4 कैसे पहुँचें

1. कक्षा 12 उत्तीर्ण करें; कला संकाय इस राह के लिए स्वाभाविक है।
2. दो में से कोई एक डिग्री लें — विधि स्नातक (एल.एल.बी.), अथवा समाज कार्य में स्नातकोत्तर (एम.एस.डब्ल्यू.)। नियम में केवल यही दो योग्यताएँ हैं; सामान्य स्नातक, अथवा समाजशास्त्र अथवा मनोविज्ञान का स्नातकोत्तर इस पद के लिए पात्रता नहीं देता। यह सूची बंद है, इसलिए यह निर्णय स्नातक के बाद ही सोच-समझकर लेना होगा।
3. एम.एस.डब्ल्यू. का रास्ता चुनें तो क्षेत्र-कार्य (फ़ील्ड वर्क) को गंभीरता से लें — वह पाठ्यक्रम का अनिवार्य भाग है और इसी पद का वास्तविक प्रशिक्षण भी, क्योंकि काम का बड़ा हिस्सा संकट में पड़ी महिलाओं से सीधा संवाद है।
4. एल.एल.बी. का रास्ता चुनें तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, दंड प्रक्रिया संहिता के संबंधित प्रावधान तथा पारिवारिक विधि पर विशेष ध्यान दें — प्रतिवेदन एवं न्यायालय की कार्यवाही इन्हीं पर चलती है।
5. आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
6. आर.पी.एस.सी. की विज्ञप्ति आने पर आवेदन करें और लिखित परीक्षा में सम्मिलित हों।

प्रमुख परीक्षाएँ

- चयन लिखित परीक्षा से होता है, जिसकी योजना नियमों की अनुसूची-III में दी गई है। परीक्षा आयोग द्वारा संचालित होती है और कुल 600 अंकों की होती है — दो प्रश्न-पत्र, प्रत्येक 300 अंक का, और प्रत्येक के लिए 3 घंटे।
- अभ्यर्थी को अनिवार्य प्रश्न-पत्र देना होता है और उसके साथ दो वैकल्पिक विषयों में से एक चुनना होता है — (क) समाज कार्य अथवा (ख) विधि। यह विकल्प योग्यता के दोनों रास्तों के अनुरूप है: एम.एस.डब्ल्यू. वाले समाज कार्य ले सकते हैं और एल.एल.बी. वाले विधि, इसलिए किसी भी पृष्ठभूमि का अभ्यर्थी अपने विषय में परीक्षा दे सकता है।

- दोनों प्रश्न-पत्रों के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं और ऋणात्मक अंकन लागू है — प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के निर्धारित अंकों का एक-तिहाई काटा जाता है। नियम में स्पष्ट किया गया है कि "गलत उत्तर" का अर्थ अशुद्ध उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर, दोनों है — अर्थात् दो विकल्प भर देना भी गलत उत्तर ही गिना जाएगा।
- एक बात इस पृष्ठ पर जानबूझकर नहीं लिखी गई है। अनुसूची-III कहती है कि दोनों प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित विषय एवं उनके अंक "नीचे दी गई सारणियों में" दिखाए गए हैं — पर दस्तावेज़ के निकाले गए पाठ में वे सारणियाँ उस पृष्ठ के बाद नहीं आतीं। इसलिए विषयवार अंक-विभाजन यहाँ नहीं दिया गया; उसे उसी चक्र की विज्ञप्ति अथवा मूल नियमावली में देखें। विस्तृत पाठ्यक्रम वैसे भी आयोग समय-समय पर निर्धारित करता है।
- ऊपरी आयु-सीमा में छूट — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष; सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष; तथा इन्हीं वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष। इसका सीधा अर्थ यह है कि किसी पद के आगे लिखी बिना छूट वाली आयु किसी आरक्षित वर्ग की महिला के लिए दस वर्ष कम बताती है — यदि आप उस श्रेणी में हैं तो अपनी पात्रता छूट जोड़कर ही तय करें। राजस्थान में सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% पद श्रेणीवार आरक्षित रहते हैं। विधवा एवं परित्यक्ता (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई ऊपरी आयु-सीमा नहीं — नियमों में यही शब्द हैं। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के नियम 13(9) में, तथा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियमों के इसी परंतुक में यह प्रावधान दर्ज है, और आर.पी.एस.सी. की विज्ञप्तियाँ भी इसे दोहराती हैं। विधवा को सक्षम अधिकारी से पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र और परित्यक्ता को तलाक का प्रमाण देना होता है। छूट एवं आरक्षण की सटीक शर्तें उसी भर्ती की विज्ञप्ति में दी जाती हैं।
- उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 40% अंक आवश्यक हैं। उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेज़ी में दिए जा सकते हैं, पर किसी एक प्रश्न-पत्र को आंशिक रूप से हिन्दी एवं आंशिक रूप से अंग्रेज़ी में लिखने की अनुमति नहीं है।
- भर्ती का ढाँचा भी ध्यान देने योग्य है: 50% पद सीधी भर्ती से और 50% पदोन्नति से भरे जाते हैं, और पदोन्नति पर्यवेक्षक (महिला अधिकारिता) के पद पर 7 वर्ष के अनुभव पर होती है। पर्यवेक्षक का पद स्वयं 100% सीधी भर्ती से भरता है और उसके लिए केवल स्नातक होना पर्याप्त है — इसलिए जो अभ्यर्थी एल.एल.बी. अथवा एम.एस.डब्ल्यू. नहीं रखते, उनके लिए विभाग में प्रवेश का वह एक अलग रास्ता है।

5 कहाँ से पढ़ें

सरकारी संस्थान

- Government law colleges, Rajasthan — LL.B. — जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर (https://hte.rajasthan.gov.in/)

- University departments of social work — MSW — जयपुर, उदयपुर, जोधपुर एवं अन्य (https://uniraj.ac.in/)
- Tata Institute of Social Sciences — the country's principal social work institution — मुंबई, महाराष्ट्र (https://www.tiss.ac.in/)
- Indira Gandhi National Open University — MSW by distance, useful alongside employment — क्षेत्रीय केंद्र राजस्थान में (https://www.ignou.ac.in/)

ऑनलाइन

- महिला अधिकारिता निदेशालय, राजस्थान — यही वह विभाग है जिसमें यह पद आता है (https://wcd.rajasthan.gov.in/)
- Ministry of Women and Child Development — the Domestic Violence Act and the rules under it — भारत सरकार (https://wcd.gov.in/)
- India Code — the bare text of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 — भारत सरकार (https://www.indiacode.nic.in/)
- राष्ट्रीय महिला आयोग — भारत सरकार (https://ncw.gov.in/)
- आर.एस.एस.बी. — पिछले प्रश्न-पत्र, उत्तर कुंजी व पाठ्यक्रम (निःशुल्क) — राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक साइट — तैयारी के लिए सबसे भरोसेमंद निःशुल्क सामग्री (https://rsmssb.rajasthan.gov.in/show_archived?menuName=Xj4lCb9vGxpQnfLs%2FxlZ2g%3D%3D)
- विभागीय सेवा नियम (कार्मिक विभाग) — पद की योग्यता व आयु मूल दस्तावेज़ में पढ़ें — कार्मिक विभाग हर संवर्ग के सेवा नियम प्रकाशित करता है। किसी भी कोचिंग सामग्री से पहले यही पढ़ें — योग्यता, आयु और भर्ती की विधि यहीं तय होती है। (https://dop.rajasthan.gov.in/)
- स्वयं (SWAYAM) — भारत सरकार के निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स — निःशुल्क (https://swayam.gov.in/)
- राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (NDLI) — निःशुल्क पुस्तकें व अध्ययन सामग्री (https://ndl.iitkgp.ac.in/)
- एन.सी.ई.आर.टी. — निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें — सामान्य ज्ञान, गणित व विज्ञान की नींव (https://ncert.nic.in/)

फ़ीस

दोनों रास्ते सरकारी संस्थानों से कम खर्च में पूरे हो सकते हैं — राजकीय विधि महाविद्यालय हर संभाग में हैं, और समाज कार्य के विभाग राज्य के विश्वविद्यालयों में उपलब्ध हैं। एम.एस.डब्ल्यू. इग्नू से दूरस्थ माध्यम में भी किया जा सकता है, जो नौकरी अथवा अन्य तैयारी के साथ-साथ चलाने के लिए व्यावहारिक विकल्प है। तैयारी की मुख्य सामग्री निःशुल्क है: घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं उसके अंतर्गत बने नियम इंडिया कोड तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, और यही अधिनियम इस पद का दैनिक कार्य-आधार भी है। परीक्षा शुल्क कुछ सौ रुपये है, आरक्षित वर्गों को छूट मिलती है। एक बात विज्ञप्ति में अवश्य देखें — नियमों के अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियत मासिक पारिश्रमिक मिलता है और पद का पूरा वेतनमान परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद ही लागू होता है।

छात्रवृत्तियाँ

- Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana (free coaching, apply via SSO) (https://sso.rajasthan.gov.in/signin)
- Rajasthan Social Justice and Empowerment Dept scholarships (https://sje.rajasthan.gov.in/)

- National Scholarship Portal (NSP) (https://scholarships.gov.in/)
- Buddy4Study scholarship search (https://www.buddy4study.com)

6 काम कैसा होता है

कहाँ काम

ज़िला स्तर पर महिला अधिकारिता विभाग का कार्यालय, न्यायालय, पुलिस थाने, आश्रय गृह एवं सखी वन स्टॉप सेंटर, तथा वे स्थान जहाँ पीड़िता से मिलना आवश्यक हो।

कार्य-संस्कृति

यह भावनात्मक रूप से भारी काम है और इसे पहले से जान लेना उचित है। दिन का बड़ा हिस्सा उन महिलाओं के साथ बीतता है जो संकट में हैं, और उनकी बात सुनकर उसे प्रतिवेदन के रूप में लिखना पड़ता है — जिसमें संवेदनशीलता एवं तथ्यात्मक सटीकता, दोनों एक साथ निभानी होती हैं, क्योंकि वही प्रतिवेदन आगे न्यायालय में पढ़ा जाएगा। काम का समय हमेशा नियमित नहीं रहता, क्योंकि संकट कार्यालय के घंटों में नहीं आता। समन्वय इस पद का बड़ा भाग है: पुलिस, न्यायालय, चिकित्सालय, आश्रय गृह एवं विधिक सहायता — इन सबके बीच रास्ता बनाना ही प्रायः सबसे उपयोगी सहायता होती है। इसके बदले में इस काम का परिणाम बहुत प्रत्यक्ष होता है, और यह उन थोड़े पदों में है जहाँ एक व्यक्ति का हस्तक्षेप किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की दिशा तुरंत बदल सकता है। यही कारण है कि इस पद पर टिकने के लिए अपनी भावनात्मक सीमाओं की समझ भी उतनी ही आवश्यक है जितनी क़ानून की।

कौन नौकरी देता है

- महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान
- ज़िला महिला अधिकारिता कार्यालय
- सखी वन स्टॉप सेंटर एवं आश्रय गृह
- घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयों से जुड़ा कार्य

माँग (2026)

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 राज्य पर संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने का दायित्व डालता है, इसलिए यह पद क़ानूनी आवश्यकता से बना है और उसकी माँग बनी रहती है। महिला अधिकारिता का ढाँचा — सखी वन स्टॉप सेंटर, आश्रय गृह एवं ज़िला स्तर की इकाइयाँ — पिछले वर्षों में बढ़ा है, और उसी के साथ इस संवर्ग की आवश्यकता भी। फिर भी दो बातें स्पष्ट रहनी चाहिए: संवर्ग छोटा है, और आधे पद पदोन्नति से भरते हैं, इसलिए सीधी भर्ती की रिक्तियाँ सीमित रहती हैं। जो विद्यार्थी इस दिशा में जाना चाहते हैं उनके लिए व्यावहारिक बात यह है कि एल.एल.बी. एवं एम.एस.डब्ल्यू. दोनों अपने आप में व्यापक योग्यताएँ हैं — विधिक सहायता, स्वयंसेवी संस्थाएँ, बाल संरक्षण, अस्पतालों का चिकित्सा-सामाजिक कार्य एवं अन्य सरकारी भर्तियाँ, सब इन्हीं डिग्रियों से खुलती हैं। पदों की संख्या विभाग की आवश्यकता बताती है, आपके चयन की संभावना नहीं। एक बात स्पष्ट रहे — ऊपर दी गई "माँग" पदों की संख्या बताती है, आपके चयन की संभावना नहीं। चयन खुली प्रतियोगिता से होता है और आवेदन करने वालों की संख्या पदों से कई गुना अधिक रहती है, इसलिए अधिकांश अभ्यर्थी किसी एक भर्ती में चयनित नहीं हो पाते। यह इस करियर के विरुद्ध तर्क नहीं है — बस इसे अपनी एकमात्र योजना न बनाएँ। तैयारी के साथ-साथ पढ़ाई जारी रखें या कोई कौशल सीखें, ताकि परिणाम चाहे जो हो, वर्ष व्यर्थ न जाए।

7 आगे बढ़ने का रास्ता

1. पर्यवेक्षक (महिला अधिकारिता) — 100% सीधी भर्ती, केवल स्नातक की शर्त; इसी पद पर 7 वर्ष के अनुभव पर संरक्षण अधिकारी के आधे पदों पर पदोन्नति होती है
2. संरक्षण अधिकारी — 50% सीधी भर्ती, 50% पदोन्नति से
3. सहायक निदेशक — संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (आर.ए.एस.) से 50% तथा संरक्षण अधिकारी से पदोन्नति द्वारा 50%; नियमों में यह भी दर्ज है कि कार्यक्रम अधिकारी का पद सहायक निदेशक के रूप में पुनर्नामित किया गया है
4. उप निदेशक एवं संयुक्त निदेशक — प्रत्येक 100% पदोन्नति से, 5 वर्ष के अनुभव पर

कमाई

शुरुआत	विज्ञप्ति में घोषित पे मैट्रिक्स स्तर के अनुसार; परिवीक्षा अवधि में नियत मासिक पारिश्रमिक
मध्य स्तर	₹50,000 – ₹70,000 (भत्तों सहित, कुछ वर्षों बाद)
वरिष्ठ स्तर	₹85,000 से अधिक (भत्तों सहित, सहायक एवं उप निदेशक स्तर पर)

2017 के सेवा नियमों में इस पद के लिए पे मैट्रिक्स का स्तर नहीं दिया गया, इसलिए आरंभिक वेतन इस पृष्ठ पर आँकड़े के रूप में नहीं लिखा गया। एक बात नियमों में स्पष्ट रूप से लिखी है और उसे जान लेना आवश्यक है: विज्ञप्ति में यह शर्त रहेगी कि चयनित अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियत मासिक पारिश्रमिक मिलेगा, और पद का पूरा वेतनमान परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद ही लागू होगा। ऊपर दिए मध्य एवं वरिष्ठ स्तर के आँकड़े अनुमानित हैं और किसी आधिकारिक दस्तावेज़ से पुष्ट नहीं। शुरुआती वेतन का आँकड़ा मूल वेतन है, ताकि इसे दूसरे करियर के साथ सीधे तुलना किया जा सके। इस पर महँगाई भत्ता (1 जनवरी 2026 से मूल वेतन का 60%) एवं मकान किराया भत्ता अलग से जुड़ते हैं, इसलिए हाथ में आने वाली राशि इससे काफ़ी अधिक होती है। मध्य-स्तर व वरिष्ठ स्तर के आँकड़े भत्तों सहित अनुमानित मासिक आय हैं, मूल वेतन नहीं। ध्यान दें — राजस्थान में सीधी भर्ती से लगे कर्मचारी पहले 2 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी रहते हैं और इस अवधि में वेतनमान नहीं, बल्कि एक नियत पारिश्रमिक मिलता है; इन दो वर्षों में महँगाई भत्ता व मकान किराया भत्ता देय नहीं होते (राजस्थान सेवा नियम, नियम 7(30क))। पूरा वेतनमान परिवीक्षा पूरी होने के बाद लागू होता है। इस पद का पे मैट्रिक्स स्तर इस पृष्ठ पर आधिकारिक दस्तावेज़ से पुष्ट नहीं किया जा सका — न सेवा नियमों में, न सी.ई.टी. नियम 2022 की अनुसूची में। इसलिए यहाँ कोई स्तर नहीं लिखा गया है। सही आँकड़ा उस भर्ती की आधिकारिक विज्ञप्ति में दिया जाता है; आवेदन से पहले उसे अवश्य देखें। ऊपर दिए गए आँकड़े राजस्थान के सातवें वेतन मैट्रिक्स पर आधारित हैं, जो 17 अगस्त 2026 तक लागू है। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की शर्तें 28 अक्टूबर 2025 को स्वीकृत हुई थीं और आयोग को गठन से 18 माह के भीतर सिफ़ारिशें देनी हैं। राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशें आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ, और कुछ देर से, लागू करती हैं — इसलिए राजस्थान का वेतनमान भी आगे संशोधित होगा, यद्यपि कब और कितना, यह अभी तय नहीं है।

8 अच्छी बातें · चुनौतियाँ

अच्छी बातें

- पद क़ानून की माँग से बना है, इसलिए इसकी आवश्यकता स्थायी है
- दो अलग पृष्ठभूमियों — विधि एवं समाज कार्य — से पहुँचा जा सकता है, और परीक्षा में भी उसी विषय का विकल्प मिलता है
- काम का परिणाम प्रत्यक्ष एवं तत्काल दिखता है
- एल.एल.बी. एवं एम.एस.डब्ल्यू. दोनों व्यापक योग्यताएँ हैं, जो अन्य क्षेत्रों में भी चलती हैं

चुनौतियाँ

- योग्यता की सूची बंद है — सामान्य स्नातक अथवा समाजशास्त्र/मनोविज्ञान का स्नातकोत्तर पात्रता नहीं देता
- काम भावनात्मक रूप से भारी है और समय सदा नियमित नहीं रहता
- आधे पद पदोन्नति से भरते हैं, इसलिए सीधी भर्ती की रिक्तियाँ सीमित
- परिवीक्षा अवधि में पूरा वेतनमान नहीं, नियत पारिश्रमिक मिलता है

9 अगर यह रास्ता न बने तो

एक परीक्षा या एक प्रयास से रास्ता बंद नहीं होता। इन्हीं विषयों से ये रास्ते भी खुलते हैं — इनमें प्रवेश आमतौर पर आसान होता है और आगे चलकर इसी क्षेत्र में लौटा जा सकता है।

- पर्यवेक्षक — महिला अधिकारिता (महिला अधिकारिता निदेशालय, राजस्थान)
- छात्रावास अधीक्षक (अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान)
- ग्रामीण विकास विशेषज्ञ

10 स्रोत व आगे पढ़ें

1. कार्मिक विभाग, राजस्थान — राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017 — https://dop.rajasthan.gov.in/writereaddata/modulCategory/2023020101121007093251 2WomanEmpowerment2017.pdf

2. राजस्थान लोक सेवा आयोग — विज्ञप्तियाँ — https://rpsc.rajasthan.gov.in/advertisements

3. महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान — https://wcd.rajasthan.gov.in/

4. इंडिया कोड — घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 — https://www.indiacode.nic.in/

5. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आधिकारिक) — https://rssb.rajasthan.gov.in/

6. कार्मिक विभाग, राजस्थान — सेवा नियम — https://dop.rajasthan.gov.in/

7. आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग — मंत्रिमंडल की स्वीकृति (पी.आई.बी., 28 अक्टूबर 2025) — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2183289

और 770+ करियर — पूरा पोर्टल

रुचि व योग्यता परीक्षण, सरकारी नौकरियाँ, कौशल पाठ्यक्रम, बायोडाटा बनाने की सुविधा — सब मुफ़्त, बिना लॉगिन, इंटरनेट के बिना भी।

career.gsssjethantri.in